



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-अ

वर्ष १२, अंक ३२]

शुक्रवार, फेब्रुवारी २७, २०२६/फाल्गुन ८, शके १९४७

[पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.००

असाधारण क्रमांक १२२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२६.

अधिसूचना

जनग-१२२६/प्र.क्र.१५/विकाअ-भारत सरकारचे राजपत्र, असाधारण भाग (II) खंड (३) उपखंड (II) ७ जानेवारी २०२६ मध्ये गृह मंत्रालय (भारताचे महारजिस्ट्रार यांचे कार्यालय), नवी दिल्ली यांची प्रसिद्ध झालेली दिनांक ७ जानेवारी २०२६ ची इंग्रजी व हिंदी मधील अधिसूचना सर्व संबंधितांच्या माहितीसाठी पुनःप्रकाशित करण्यात येत आहे.

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, ७ जनवरी २०२६.

अधिसूचना

का.आ. ९९ (अ).—केंद्रीय सरकार, जनगणना नियम, १९९० के नियम ६क और नियम ६घ के साथ पठित जनगणना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ३७) की धारा ३ और धारा १७क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड ३ उपखंड (ii) तारीख ९ जनवरी २०२० में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. ११९ (अ) तारीख ७ जनवरी २०२० को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनगणना २०२७ से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य १ अप्रैल २०२६ से ३० सितंबर २०२६ के बीच भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाएगा। स्व-गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि तीस दिन की घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य आरंभ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जाएगा।

[फा.सं. ९/८/२०२५-सीडी (सीइएन)]

मृत्युंजय कुमार नारायण, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of Registrar General, India)

New Delhi, the 7th January 2026.

NOTIFICATION

S.O. 99(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 and section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rules 6A and 6D of the Census Rules, 1990 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General, India) number S.O. 119(E), dated the 7th January 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th January 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that the houselisting operations of the Census of India 2027 shall take place between 1st April 2026 and 30th September 2026 in all States and Union territories in India during the period of thirty days specified by each State and Union territory. There shall also be an option for self-enumeration which shall be conducted in fifteen days' time period just before the start of house to house houselisting operations of thirty days.

[F. No: 9/8/2025-CD (Cen)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General and Census Commissioner

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

भ. बु. गावडे,
शासनाचे सह सचिव.